

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन एवं सहायता, जोधपुर

क्रमांक / सहायता / 2021 / 50

दिनांक: - 7/1/2021

प्रेषित:-

श्रीमान वित्तीय सलाहकार,
आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
जयपुर राज.।

विषय:- मानसून वर्ष 2020 भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत हेतु बजट आवंटन करवाने बाबत।

प्रसंग:- अ.अ. सा.नि.वि.जिला खण्ड शेरगढ़ जोधपुर के पत्रांक 912 दिनांक 05.01.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है मानसून वर्ष 2020 में भारी वर्षा से उत्पन्न बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत हेतु बजट मद 2245-02-106-08-01-(21) में निम्नानुसार बजट आवंटन करवाने का श्रम करावे।

क्र. सं.	तहसील/खण्ड	कार्यकारी एजेंसी का नाम	क्षतिग्रस्त सड़कों की संख्या	प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार राशि(लाखों में)	तकनीकी स्वीकृति अनुसार राशि (लाखों में)	बजट मांग(लाखों में)
1.	शेरगढ़	अ.अ.सानिवि जिला खण्ड शेरगढ़	23	95.51	95.51	95.51
योग:-			23	95.51	95.51	95.51

संलग्न:- प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति।


प्रभारी अधिकारी
आपदा प्रबंधन एवं सहायता
एवं अपर जिला कलक्टर(तृतीय)
जोधपुर

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन एवं सहायता, जोधपुर

क्रमांक / सहायता / 2020 /

दिनांक:-

प्रशासनिक स्वीकृति

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ.8(12)आ.प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/20/16184-91 जयपुर दिनांक 28.12.2020 प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या -16/2020-21 व एफ.8(1)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/2020/12384-85 जयपुर दिनांक 24.09.2020 की अनुपालना में मानसून वर्ष 2020 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु सा.नि.वि. जिला खण्ड शेरगढ़ तहसील शेरगढ़ के कुल 23 कार्यों हेतु राशि रुपये 95.51 लाख (अक्षरें रुपये पंचानवे लाख साठ इक्यावन हजार मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

01. वित्तीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात् ही कार्यदेश जारी किये जावें। अन्यथा समस्त जिम्मेवारी कार्यकारी एजेंसी की होगी।
02. विभाग द्वारा per km की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः सा.नि.विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों की मरम्मत पर न करे।
03. प्रस्तावों में उन्ही सड़कों की मरम्मत करवाया जाये जो पेचवर्क द्वारा ठीक करायी जा सकती है।
04. बाढ़/अत्यधिक वर्षा के क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के Restoration में यह ध्यान रखा जावे कि परिसम्पत्तियों का तात्कालिक Restoration ही किया जाना है, न कि नया निर्माण। इस सम्बन्ध में एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स में दिये प्रावधानों की आवश्यक रूप से पालना करें।
05. वे सड़के जो Defect Liability Period के तहत आती हैं, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
06. बजट संबंधित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
07. सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं कार्यकारी एजेंसी कार्य आरम्भ करने से पूर्व यह प्रमाण-पत्र प्रेषित करे कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
08. सार्वजनिक निर्माण विभाग यह आश्वस्त कर लेवें की बजट की मांग SDRF नॉर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा

- मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
09. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
 10. सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्य शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूरा हो सके।
 11. राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु राशि तभी स्वीकृत की जावे, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से उनकी मरम्मत हेतु बजट उपलब्ध नहीं है।
 12. उपर्युक्त कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार की कराया गया है, के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट भुगतान पूर्व उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त कर लेवें।
 13. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे कि क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण-पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
 14. सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा, PWF&AR, RTPP एवं GF&AR नियमों तथा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावें।
 15. आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
 16. आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के पत्रांक एफ8(1)आ.प्र.एवं. सहा/बाढ़/2020/12384-85 जयपुर दिनांक 24.09.2019 के बिन्दू संख्या 4 व 5 के क्रम में तकनीकी स्वीकृति जारी कर अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवायें ताकि बजट मांग की जा सकें।

क्र.सं.	सड़क का नाम	राशि (लाखों में)
1	शिव से पाटौदी वाया शेरगढ़ कि.मी. 118/0 से 132/0 (एस.एच. 65)	14.00
2	जोधपुर तिंवरी बालेसर शेरगढ़ सड़क कि.मी. 105/0 से 117/0 (एस.एच.95)	12.00
3	चामू चाबा खोखर सड़क कि.मी. 49/0 से 60/0 (ओ.डी.आर. 32)	6.60
4	तेना से तिबना सड़क कि.मी. 0/0 से 4/0	2.40
5	शेरगढ़ दासानिया ऊटवालिया सड़क कि.मी. 14/150 से 35/0	12.51
6	जोधपुर शेरगढ़ रोड से हनवन्तनगर कि.मी. 0/0 से 5/350	3.21
7	सोमेश्वर से किशोरनगर सड़क कि.मी. 0/0 से 7/800	4.68
8	भूंगड़ा से गजेसिंह नगर कि.मी. 0/0 से 5/200	3.12
9	चामू चाबा सड़क से नरसिंहपुरा कि.मी. 0/0 से 2/250	1.35
10	हिम्मतपुरा से डूंगरपुरा कि.मी. 0/0 से 4/500	2.70

11	साबरसर से श्री खेतसिंह नगर कि.मी. 0/0 से 4/100	2.46
12	हिम्मतपुरा से गजसिंहपुरा कि.मी. 0/0 से 5/450	3.27
13	तेना से चैनसिंहनगर कि.मी. 0/0 से 3/050	1.83
14	शेरगढ़ फलसूण्ड सड़क से हेमावास कि.मी. 0/0 से 4/600	2.76
15	तेना से नाथासर कि.मी. 0/0 से 5/900	3.54
16	स्टेट हाईवे 38 कि.मी. 240 से देवीगढ़ कि.मी. 0/0 से 4/700	2.82
17	बिड़दनगर से जाटावास कि.मी. 0/0 से 6/0	3.60
18	शेरगढ़ हिम्मतपुरा से प्रेमनगर कि.मी. 0/0 से 3/0	1.80
19	सम्पर्क सड़क हिम्मतपुरा कि.मी. 0/0 से 11/400	6.84
20	सम्पर्क सड़क भोमसागर कि.मी. 0/0 से 2/700	1.62
21	स्टेट हाईवे 95 से आदर्श विद्या मंदिर शेरगढ़ कि.मी. 0/0 से 1/0	0.60
22	जाटावास से हनवंतनगर कि.मी. 0/0 से 1/500	0.90
23	हेमावास से शिव मंदिर रामगढ़ कि.मी. 0/0 से 1/500	0.90
योग:-		95.51

अक्षरें रूपयें पिचानवे लाख साठ इक्यावन हजार मात्र

(इन्द्रजीत सिंह)

जिला कलक्टर

जोधपुर

दिनांक:- 5-1-2021

क्रमांक/सम/2020/06-12

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़।
4. तहसीलदार शेरगढ़।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग जोधपुर
6. अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. जिला खण्ड शेरगढ़ जोधपुर।
7. रक्षित पत्रावली।



प्रभारी अधिकारी

आपदा प्रबंधन एवं सहायता
एवं अपर जिला कलक्टर(तृतीय)
जोधपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड शेरगढ़

दिनांक: 05/01/2021

क्रमांक : अ.अ./शेर./20-21/912

श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता)
जोधपुर।

विषय :- अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से माह अगस्त 2020 में क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत के प्रस्तावों के तकमीनें भिजवाने एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कराने बाबत्।
संदर्भ:- आपके कार्यालय के पत्रांक 06-12 दिनांक 05.01.2021 केक्रम में।

06/01/2021

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि आपके पत्रांक 06-12 दिनांक 05.01.2021 द्वारा माह अगस्त 2020 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण खण्ड शेरगढ़ के कार्य क्षेत्र में क्षतिग्रस्त विभिन्न सड़कों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, जिसकी निरन्तरता में इस कार्यालय द्वारा कार्यों के तकमीनें बनाकर तकनीकी स्वीकृति जारी कर प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

कृपया कर इन कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी कराने का श्रम करावें जिससे कार्य शीघ्र करवाया जा सकें।

क्र.स.	तहसील का नाम	क्षतिग्रस्त सड़कों की संख्या	अनुमानित लागत (लाखों में)
1	शेरगढ़	23 कार्य	95.51

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची एवं तकमीनें

भवदीय

(डी.आर.माधव)

अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि. जिला खण्ड शेरगढ़
दिनांक 05.01.2021
DDO - 103528

क्रमांक : अ.अ./शेरगढ़./

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. ग्रामीण वृक्ष जोधपुर।

अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि. जिला खण्ड शेरगढ़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड शेरगढ़

3

तहसील - शेरगढ़

क्षतिग्रस्त रोड का नाम मय लोकेशन	रोड का वर्गीकरण	राशि (लाखों में)	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक	मरम्मत हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1 शिव से पाटौदी वाया शेरगढ़ कि.मी. 118/0 से 132/0 (एस.एच. 65)	SH	14.00	257 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	8
2 जोधपुर तिवरी बालेसर शेरगढ़ सड़क कि.मी. 105/0 से 117/0 (एस.एच. 95)	SH	12.00	258 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
3 चामू चाबा खोखर सड़क कि.मी. 49/0 से 60/0 (ओ.डी.आर. 32)	ODR	6.60	259 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
4 तेना से तिबना सड़क कि.मी. 0/0 से 4/0	VR	2.40	260 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
5 शेरगढ़ दासानिया ऊटवालिया सड़क कि.मी. 14/150 से 35/0	VR	12.51	261 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
6 जोधपुर शेरगढ़ रोड से हनवन्तनगर कि.मी. 0/0 से 5/350	VR	3.21	262 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
7 सोमसर से किशोरनगर सड़क कि.मी. 0/0 से 7/800	VR	4.68	263 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
8 भूगडा से गजेसिंह नगर कि.मी. 0/0 से 5/200	VR	3.12	264 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
9 चामू चाबा सड़क से नरसिंहपुरा कि.मी. 0/0 से 2/250	VR	1.35	265 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
10 हिम्मतपुरा से झूगरपुरा कि.मी. 0/0 से 4/500	VR	2.70	266 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
11 साबरसर से श्री खेतसिंह नगर कि.मी. 0/0 से 4/100	VR	2.46	267 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
12 हिम्मतपुरा से गजसिंहपुरा कि.मी. 0/0 से 5/450	VR	3.27	268 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
13 तेना से चैनसिंहनगर कि.मी. 0/0 से 3/050	VR	1.83	269 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
14 शेरगढ़ फलसूण्ड सड़क से हेमावास कि.मी. 0/0 से 4/600	VR	2.76	270 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
15 तेना से नाथासर कि.मी. 0/0 से 5/900	VR	3.54	271 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
16 स्टेट हाईवे 38 कि.मी. 240 से देवीगढ़ कि.मी. 0/0 से 4/700	VR	2.82	272 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
17 बिडनगर से जाटावास कि.मी. 0/0 से 6/0	VR	3.60	273 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
18 शेरगढ़ हिम्मतपुरा से प्रेमनगर कि.मी. 0/0 से 3/0	VR	1.80	274 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
19 सम्पर्क सड़क हिम्मतपुरा कि.मी. 0/0 से 11/400	VR	6.84	275 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
20 सम्पर्क सड़क भोमसागर कि.मी. 0/0 से 2/700	VR	1.62	276 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
21 स्टेट हाईवे 95 से आदर्श विद्या मंदिर शेरगढ़ कि.मी. 0/0 से 1/0	VR	0.60	277 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
22 जाटावास से हनवन्तनगर कि.मी. 0/0 से 1/500	VR	0.90	278 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
23 हेमावास से शिव मंदिर रामगढ़ कि.मी. 0/0 से 1/500	VR	0.90	279 दिनांक 5.01.2021	सा.नि.वि.	
योग		95.51			

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड
शेरगढ़